(160)

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

C.F. 15/-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० /2004 पुनरीक्षण

R. 1423-II/2004

श्री एस. के. वाजपेयी एडवोकेट
द्वारा आज दि० 1/11/2004
सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
E 1 NOV 2004

1- श्रीमती स्याकुमारी सिंह पत्नी स्व० लाल बिहारी सिंह

2- शिवेन्द्र बहादुर सिंह
3- देवेन्द्र बहादुर सिंह
4- तीर्थेन्द्र बहादुर सिंह
5- मृगेन्द्र बहादुर सिंह
6- कोमल प्रतापसिंह

पुत्रगण स्वर्गीय श्री लालबिहारी सिंह

7- श्रीमती गीता कुमारी पत्नी राजेन्द्र बहादुर सिंह

क्र० 1 से 6 निवासीगण ग्राम अहिरगंवा तहसील अमरपाटन जिला सतना (म०प्र०), क्र० 7 निवासी ग्राम लंगरगंवा तहसील नागो[द] जिला सतना (म०प्र०)

8- श्रीमती दुर्गादेवी पत्नी नारेन्द्र बहादुरसिंह निवासी ग्राम उदंना तहसील नागोद जिला सतना (म०प्र०)

9- श्रीमती निशा सिंह पुत्री स्व० लाल बिहा[री] निवासी ग्राम अहिरगांव तहसील अमरपाट[न] जिला सतना (म०प्र०) ----- आवेदकग[ण]

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कार्यपालन अधिकारी लक्ष्मणबाग, रीवा (म०प्र०) ----- अनावे[दक]

एस.वाजपेयी 1-11-2004

R 1.11.04

आयुक्त रीवा संभाग द्वारा प्र०क्र० 289/2003-200[4]
... पारित आदेश दिनांक 30-9-2004 के

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1423–दो/2004 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–9–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी उपस्थित । अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस0के0 श्रीवास्तव उपस्थित। 2/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 289/2003–04/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.09.2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराये, जो निगरानी मेमो में अंकित है। 4/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित आलोच्य आदेश दिनांक 30.09.2004 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया । इसी बीच कार्यपालन अधिकारी, लक्ष्मण बांग संस्थान रीवा द्वारा जरिये अभिभाषक प्रस्तुत आपत्ति का भी अवलोकन किया गया । निगरानी आवेदन पत्र में उक्त आपत्ति का भी अवलोकन किया गया । प्रकरण में उपरोक्त समग्र परिस्थितियों को देखते हुये यह पाया जाता है कि	

प्रश्नाधीन भूमियों लक्ष्मण बांग संस्थान को कब्जा दिया जा चुका है । अपर आयुक्त रीवा ने उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण ग्राह्यता योग्य न मानते हुये अग्राह्य किया है।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं महत्वहीन होने से खारिज की जाती है तथा अपर आयुक्त रीव संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2004 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो । प्रकरण समाप्त किया जाकर दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य